26/06/2025 अभियुक्ता के विरूद्ध पूर्व में जारी गिरफतारी वारंट के पालन में आरक्षी केन्द्र सहसपुर लोहारा के महिला प्रधान आरक्षक क्र.–505 ने अभियुक्त को गिरफतार कर पेश किया ।

अभियुक्ता को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया ।

परिवादी द्वारा अधिवक्ता श्री अतीत परिहार ।

प्रकरण अभियुक्ता की उपस्थिति हेतु नियत है ।

इसी स्तर पर परिवादी अधिवक्ता श्री अतीत परिहार ने एक आवेदन पत्र राजीनामा हेतु प्रस्तुत किया।

परिवादी अधिवक्ता श्री अतीत परिहार द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार यह है कि अभियुक्ता के विरूद्ध दर्ज प्रकरण के तारतम्य में अभियुक्त ने विद्युत विभाग को अधिरोपित व्यय का भुगतान कर दिया है तथा परिवादी संस्था को आज दिनांक की स्थिति में किसी प्रकार के देयक शेष नहीं है, परिवादी एवं अभियुक्ता के मध्य राजीनामा हो गया है अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाए।

परिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन के संदर्भ में उनका राजीनामा साक्ष्य लेखबद्ध किया गया ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया ।

दर्शित परिस्थितियों में प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

अभियुक्ता का जमानत मुचलका भारमुक्त कर उसको प्रकरण की कार्यवाही से स्वतंत्र कर किया गया ।

तद्नुसार प्रकरण समाप्त।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत अवधि के भीतर अभिलेखागार में भेजा जावे।

YOGITA VINAY WASNIK Digitally signed by YOGITA VINAY WASNIK Date: 2025.06.26 17:24:20 +0530

(योगिता विनय वासनिक)
विशेष न्यायाधीश
भारतीय विद्युत अधिनियम
जिला कबीरधाम (छ.ग.)